IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय न्यायिक प्रणाली में पारिवारिक विवादों को सुलझाने में वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका : एक विधिक अध्ययन

साक्षी, शोध छात्रा

विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश :

विवाह संस्था प्रगतिशील एवं स्वस्थ समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वर्तमान समय में समाज में विवाह संस्था कमजोर होती जा रही है जिससे विवाह टूटने की संभावना प्रबल होती जा रही है। इन दिनों विवाह–विच्छेद, विवाह नामक पवित्र व अटूट बन्धन को विच्छेद करने का एक बहुत ही सामान्य तरीका बन गया है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में विवाह–विच्छेद की प्रक्रिया इतनी अधिक समय लेने वाली और खर्चीली है कि यह विवाह–विच्छेद लेने वाले पक्षकारों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडित करने वाली प्रतीत होती है। यह पति–पत्नी के साथ–साथ उनके परिवार और बच्चों में अत्यधिक मानसिक तनाव पैदा करता है। 21वीं सदी में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत में व्यापक रुप से पडा है जिस कारण भारत में विवाह–विच्छेद की दर में वृद्धि देखी गयी है। विवाह–विच्छेद की दर में हुई वृद्धि से न्यायपालिका पर न्याय करने का बोझ बढा है और न्यायालय में लम्बित मामलों में इजाफा हुआ है। भारत में पारिवारिक विवादों के निपटारे हेतु विशेष रुप से **परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984** के अधीन पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी, परन्तु इस प्रकार स्थापित परिवार न्यायालय, पारिवारिक विवादों के लम्बित मामलों के निपटारे में सार्थक सिद्ध नहीं हुए है। अतः न्यायालयों और विवाद के पक्षकारों पर तनाव कम करने के लिए भारतीय न्याय प्रणाली में वैकल्पिक विवाद समाधान नामक एक नया आयाम अपनाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द : विवाह संस्था, विवाह विच्छेद, मध्यस्थता, सुलह, वैकल्पिक विवाद समाधान।

प्रस्तावना : विवाह एक पवित्र सामाजिक बन्धन है, जिसके द्वारा दो व्यक्ति आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला, एक–दूसरे के साथ जीवन भर के लिए एक पवित्र बन्धन में बधँ जाते है और भारत में विवाह पारंपरिक रूप से एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ और धर्म को मानने वाले लोग अपने–अपने रीति–रिवाजों के अनुसार विवाहिक कार्य को सम्पन्न करते हैं। भारतीय विधि में विवाह को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गयी है जिसके अनुसार इसे एक विधिक अनुबंध भी माना जाता है। जिसके द्वारा दोनों पक्षकारों को एक–दूसरे प्रति अधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त होती हैं। इस लेख में पारिवारिक विवादों के निपटारें हेतु

वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रक्रिया व इससे संबंधित लाभ का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। भारत में विवाह से संबंधित अनेक विधियाँ लागू है जैसे **हिन्दू विवाह अधिनियम**[1], **विशेष विवाह अधिनियम**[2], **मुस्लिम विधि** आदि। विवाह के पश्चात पति और पत्नी एक–दूसरे के साथ अपने जीवन के दाम्पत्यिक दायित्वों का निर्वाह करते है। विवाह के माध्यम से परिवार में संतान का जन्म होता है, जो समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करता हैं। विवाह में दोनों पक्षकारों के अधिकार और दायित्व होते हैं। पति और पत्नी दोनों को एक–दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, समानता और देखभाल की जिम्मेदारी होती है। विधि के अनुसार, दोनों पक्षकारों को समान अधिकार मिलते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, भरण–पोषण और एक–दूसरे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख–शांति का ख्याल रखना परन्तु फिर भी विवाह और परिवार की संस्था के कमजोर होने से यह बंधन टूट रहा है। विवाह–विच्छेद, विवाह को विघटित करने का एक बहुत ही आम तरीका बन गया है। विवाह–विच्छेद लेने की प्रक्रिया इतनी समय लेने वाली और व्यस्त है कि यह विवाह–विच्छेद लेने वाले पक्षों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है। यह पति–पत्नी के बीच और अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है।

21वीं सदी में, भारत में विवाह–विच्छेद की दर में वृद्धि देखी गयी है। भारत में कितने लोग तलाकशुदा है इसका आखिरी आधिकारिक आंकड़ा 2011 की जनगणना का है जिसके अनुसार 13.62 लाख से ज्यादा भारतीय तलाकशुदा थे। ये कुल आबादी का कुल 0.11 फीसदी है। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी है। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4.52 लाख थी वही तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 9.09 लाख से ज्यादा थी। इससे पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तब 33.31 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो या तो तलाकशुदा थे या फिर अलग–अलग रह रहे थे. इस हिसाब से देखा जाए तो 2011 में तलाकशुदा या अलग–अलग रह रहे लोगों की आबादी 50 लाख से ज्यादा हो गई थी। हमारे देश में तलाक या न्यायिक पृथक्करण से जुड़े मामले परिवार न्यायालय में निपटाए जाते हैं देशभर में लगभग 800 से ज्यादा परिवार न्यायालय हैं। इन्हीं अदालतों में तलाक, न्यायिक पृथक्करण, गुजारा भत्ता, पति–पत्नी के बीच संपत्ति का विवाद और बच्चे की अभिरक्षा जैसे विवाद निपटाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि परिवार न्यायालय में दायक मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 के आखिरी तक इन परिवार न्यायालय में लगभग साढ़े 11 लाख मामले लम्बित थे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के मुताबिक, 2023–24 में शहर में रहने वाली महिलाओं में से 0.7 फीसदी तलाकशुदा थीं. जबकि, तलाकशुदा पुरुष की संख्या 0.5 फीसदी थी।[3] वर्तमान समय में पारिवारिक विवादों के निपटारें हेतु मध्यस्थता एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। परिवार में उत्पन्न होने वाले विवाद बहुत ही सामान्य रुप से आवृत्तिक एंव संवेदनशील प्रकृति के होते है इसलिए उन्हें धैर्य व संयम के साथ सुलझाने की आवश्यकता होती है। जिससे परिवार में उत्पन्न होने वाले ऐसे विवादों का सन्तोषजनक समाधान निकाला जा सके और सौहार्दपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत किया जा सकें। विवाह से सम्बन्धित विवादों के अनेक मामलों में

[1] हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 25)।

[2] विशेष विवाह अधिनियम, 1954(1954 का अधिनियम संख्यांक 43)।

[3] भारत में तलाक दर और आंकड़े, अतुल सुभाष केस, आज तक, https://www.aajtak.in/explained/story/atul-subhash-case-divorce-rate-in-india-divorce-law-data-statistics-divorced-population-in-india-pryd-dskc-2123371-2024-12-18 (अंतिम बार देखा 01फरवरी, 2025)।

विवाह–विच्छेद और गुजारा भत्ते का मामला न्यायालय में दर्ज हो जाने के बाद न्यायालय ने ऐसे मामलों को मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए निर्देशित किया जिससे अनेक मामलों में विवाद सुलझ जाता है और पक्षकार समझौते के लिए सहमत हो जाते है। यह प्रक्रिया विवाह जैंसे पवित्र बंधन को विघटित होने से रोकने में कारगर साबित हो रही है।

परिवार में उत्पन्न होने वाले पास्परिक विवाद के प्रकार : एक परिवार में कई तरह के परिवारिक विवाद होते है और ऐसे विवाद हर परिवार के पारिवारिक प्रष्टभूमि के आधार पर भिन्न–भिन्न होते हैं। एक बड़े संयुक्त परिवार से लेकर एक छोटे एकल परिवार तक होने वाले विभिन्न विवाद निम्न प्रकार हो सकते है जैसे : –

- विवाह–विच्छेद से संबंधित मुद्दे एक परिवार में विवाद के प्रमुख कारणों में से एक है। ऐसी कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें एक युगल काम से संबंधित तनाव, जारता, भरण–पोषण में असफलता, क्रूरता, द्वि–विवाह, पति द्वारा पत्नी पर चरित्रहीनता का लाँछन, आपसी अभद्र व्यवहार, वर–वधु पक्ष की ओर से दिये जाने वाले आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तनाव, बच्चों की शिक्षा–भरणपोषण संबंधित मुद्दें, वित्तीय अस्थिरता आदि जैसे कारण विवाह को सुचारु रुप से चलने में बाँधाए उत्पन्न करते है।
- विवाह के पक्षकारों के बीच संपत्ति और व्यवसाय को लेकर लड़ाई होती है या बच्चे अपने माता–पिता के साथ संघर्ष करते हैं। उनके बीच विचारों का टकराव एक आम बात हो जाती है। बड़ा संयुक्त परिवार जिसमें अलग–अलग लोगों की अलग–अलग राय होती है और ये छोटे–छोटे मतभेद कभी–कभी बड़े झगड़े का कारण बनते हैं जिसे सुलझाना मुश्किल होता है।

उदाहरण – हाल ही मे 2 मामले सामने आये जिसने देश को हिला कर रख दिया पहला मामला बेंगलुरु के अतुल सुभाष का था जिसमे पत्नी और ससुराल वालों से परेशान अतुल ने खुदकुशी कर ली और जाते जाते एक वीडियो शूट किया जिसमे उसने सिस्टम की कमियों को पूरी तरह उजागर किया। दूसरा केस दिल्ली के कारोबारी पुनीत खुराना ने पत्नी और ससुराल वालों पर संगीन इल्जाम लगाए और एक घंटे का सुसाइड वीडियो बना कर पारिवारिक विवादों का खुलासा किया पुनीत ओर उसकी पत्नी ने मिलकर एक कैफे की शुरुवात की परन्तु दोनों मे पैसों के लेंन देंन को लेकर झगड़ा होने लगा जिससे दोनों के परिवारों मे आपसी विवाद बढ़ता गया जिसके चलते पुनीत ने 31 दिसंबर 2025 को फंदा लगा कर खुदकुशी कर ली।[4]

- माता–पिता के सोच विचार भी परिवारों में विवाद का एक प्रमुख कारण बन जाते है। बच्चो की माता–पिता से इस बात पर बहस हो जाती है की वे पुराने विचार के है और बच्चे उनके विचारों से सहमत नहीं होते कि बच्चों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए और कभी–कभी यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।
- अक्सर विवाह के पक्षकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है कि माता–पिता की देखभाल कौन करेगा? यदि उनमें से एक पक्षकार माता–पिता की देखभाल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का

[4] भारत में तलाक दर और आंकड़े, अतुल सुभाष केस, आज तक, https://www.aajtak.in/explained/story/atul-subhash-case-divorce-rate-in-india-divorce-law-data-statistics-divorced-population-in-india-pryd-dskc-2123371-2024-12-18 (अंतिम बार देखा 01फरवरी, 2025)।

निर्वाह करता है तो दूसरे पक्षकार से ऐसी जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता का व्यवहार आगे चलकर संघर्ष का कारण बन जाता है।

घरेलू हिंसा के मामलों में मध्यस्थता की सक्रियता :

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा संदर्भित मध्यस्थता सम्बन्धी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।[5] जिसे केवल सिविल मामलों के लिए लागू किया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 व 86[6] (जिसे पहले भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498क[7] के नाम से जाना जाता था) के तहत दर्ज क्रूरता के मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नही किया जा सकता कयोंकि क्रूरता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 359 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320) के तहत एक गैर–शमनीय अपराध है।[8] परन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा 2013 में मंजूरी देकर न्यायालयों को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498क के तहत उल्लिखित मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति प्रदान की गई। **मोहम्मद मुश्ताक अहमद बनाम राज्य** के मामले में, बेटी के जन्म के बाद उनके बीच विवाद होने पर पत्नी ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498क के तहत पति के खिलाफ विवाह–विच्छेद का मामला दर्ज किया।[9] कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया और सब कुछ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। पत्नी ने दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का फैसला किया और न्यायालय ने न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी अनुमति दी। परन्तु घरेलू हिंसा के मामलों में मध्यस्थता करने के कुछ हानि भी हैं। अपराधी बिना दण्ड के आसानी से बच जाता है और अपने कार्यों के लिए वास्तव में दंडित हुए बिना समाज में रहने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यदि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करे और समाज में अपराध की दर को कम करने में मदद करे।

मध्यस्थता :

पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता भी एक लोकप्रिय तरीका है। अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल्स इन डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के अनुसार, मध्यस्थता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

'एक प्रक्रिया जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष, एक मध्यस्थ, विवाद के पक्षों द्वारा स्वैच्छिक समझौते को बढ़ावा देकर विवाद के समाधान की सुविधा प्रदान करता है। एक मध्यस्थ संचार की सुविधा प्रदान करता है, समझ को बढ़ावा देता है, पक्षों को उनके हितों पर ध्यान केंद्रित करता है और पक्षकारों

[5] धारा 89, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(1908 का अधिनियम संख्यांक 5)।
[6] धारा 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 45)।
[7] भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 45)।
[8] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2)।
[9] भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 45)।

को उनके समझौतों तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए रचनात्मक समस्या समाधान की तलाश करता है।"[10]

मध्यस्थ की भूमिका विवाद को हल करना नहीं है, बल्कि पक्षकारों को उस विवाद पर बातचीत करने और एक सामंजस्यपूर्ण समझौते पर पहुँचाना है। बाल अभिरक्षा और भरणपोषण संबंधी मामलों में, मध्यस्थता विवाद को हल करने का सबसे अच्छा तरीका साबित हुई है। मध्यस्थता में विवाद को पक्षकारों द्वारा शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है। अधिकतर मामलों में 2–3 बैठकें लगती हैं और विवाद हल हो जाता है। पक्षकारों के बीच मौजूदा संबंध बरकरार रहते हैं और उनके बीच स्नेहपूर्ण संबंधों में कोई दरार या व्यवधान नहीं आता है। मध्यस्थता का सहारा आमतौर पर पारिवारिक विवादों, फर्म में भागीदारों के बीच विवादों आदि में लिया जाता है, जहाँ बंधन या रिश्ते को बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्यस्थता अन्य तरीकों की तुलना में कम तनावपूर्ण है, इसके पीछे का कारण पक्षकारों द्वारा विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करना है। आम तौर पर यह माना जाता है कि पारिवारिक विवादों में हितधारकों के बीच संवाद हमेशा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यहाँ बहुत सी ज़िम्मेदारी निर्णायक के पास होती है, और इसलिए एक मध्यस्थ जो पक्षकारों के बीच संवाद और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विवाद की बारीकियों को समझने में समय लगा सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता के लिए अधिवक्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

समझौता :

यह एक गैर–न्यायिक प्रक्रिया है। यह एक पक्ष–केंद्रित बातचीत है और इसमें पक्षकारों की सहमति अनिवार्य है। यह एक स्वैच्छिक कार्यवाही है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 74 के तहत न्यायालय के आदेश द्वारा समझौता भी लागू किया जा सकता है।[11] यह विवाद समाधान के लिए एक श्रेष्टतम विकल्प है, चाहे वह मुकदमेबाजी से पहले हो या बाद में। **गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल**[12] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि समझौता करने और संचार अंतराल को पाटने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लोग पारम्परिक न्याय प्रणाली का सहारा न लेना पडे। यह प्रक्रिया पक्षकारों को कार्यवाही की संरचना में लचीलापन और समय भी प्रदान करती है।

पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता:

हमारे समाज में प्राचीन काल से परिवार के सदस्यों के मध्य हुए विवाद को एक साथ बैठकर बातचीत के द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रचलन रहा है। ग्राम स्तर पर कई बार विवादों को पंचायतों के माध्यम से सुलझाया जाता था और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता था। मध्यस्थता प्रक्रिया भी वही भूमिका निभाती है। जहां एक परिवार के सदस्य आपसी विवाद से व्यथित है तब वह न्यायालय में जाने के बजाय उन विवाद के तथ्यों पर चर्चा करके आपस में शिकायतों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में, परिवार

[10]मध्यस्थता क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), https://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-arb.html (अंतिम बार देखा दिनांक 01 फरवरी, 2025)।

[11] धारा 74, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996।

[12] ए0 आई0 आर0 2008,उच्चतम न्यायालय।

के सदस्यों के बीच शांति और सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों मे मध्यस्थ संचार को प्रोत्साहित करके लोगों को एक समझौते तक पहुँचने में मदद करने की प्रयास करता है, जिस पर दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। पारिवारिक विधि प्रणाली मध्यस्थता को प्रोत्साहित करती है जिसे विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। जैसे परिवार के किसी सदस्य या मित्र की मदद करना, अनौपचारिक आम बैठक या ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत कवर की गई एक विशेष मध्यस्थता प्रक्रिया का उपयोग करना **कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984** जिसे पारिवारिक विवाद समाधान के रूप में जाना जाता है जिसमें एक विधि व्यवसायी लोगों को उनके विवाद को सुलझाने में मदद करता है और वह किसी भी पक्ष से सीधे संबंधित नहीं होता है।[13] पारिवारिक विवाद समाधान में मध्यस्थता/समाधान के संदर्भ हैं जो **कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम,1984, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908[14], हिंदू विवाह अधिनियम, 1955[15] और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987[16]** में मौजूद हैं जो लोक अदालतों को एक विशेष दर्जा प्रदान करते है क्योंकि यह विधि पारिवारिक विवादों की मध्यस्थता में बहुत प्रभावी रही है।

पारिवारिक मध्यस्थता में अधिवक्ता की भूमिकाः

सामान्यतया पारिवारिक मामलों में पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में पूर्ण व स्पष्ट जानकारी का अभाव होता है।, इसलिए अधिवक्ता पक्षकारों को मध्यस्थता की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अधिवक्ता विधि का ज्ञाता होता है जिस कारण पक्षकारों को अधिवक्ताओं पर अधिक भरोसा होता है। अधिवक्ता अपने पक्षकार को न्यायालय से न्याय दिलाने में विशेष भूमिका निभा सकते है और उसे न्याय मिले यह सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान एक अधिवक्ता की उपस्थिति पक्षकार को निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे मध्यस्थ प्रक्रिया के दौरान वह विभिन्न विकल्पों का सुझाव दे सकता है और पक्षकार को उसके सर्वोत्तम हित में विकल्प चुनने में सहायता कर सकता है। पक्षकार को किसी भी निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होने से बचा सकता है। कभी–कभी पक्षकार मध्यस्थ से कुछ पूछने में हिचकिचा सकता है कि यदि कुछ शर्तें उन्हें स्पष्ट नहीं हैं तो उनका अधिवक्ता उन्हें असानी से समझा सकता है और किसी भी गलत संचार को रोकने में भी सहायता कर सकता है। अधिवक्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना भी है। मध्यस्थता प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह सफलता या विफलता हो सकती है। यदि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम किसी पक्षकार के पक्ष में नहीं हैं, तो उस पक्षकार को उस बिंदु से न्यायालय मे वाद शुरू करना होगा जहां से इसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। न्यायालय से न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पुनः एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। यदि मध्यस्थता प्रक्रिया का परिणाम सफल होता है तो पक्षकारों को सुलहनामा पर हस्ताक्षर करना होता है, जिस पर पक्षकार अपने अधिवक्ता की जानकारी एंव सहमति के बिना हस्ताक्षर करने से बचतें हैं। अधिवक्ता यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या मध्यस्थता समझौते की शर्तों को ठीक से निष्पादित किया गया है।

[13] पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 66)।
[14] सिविल प्रोसीजर कोड,1908(1908 का अधिनियम संख्यांक 5)।
[15] हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 25)।
[16] विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39)

पारिवारिक मध्यस्थता में मध्यस्थ की भूमिका :

मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थ की मुख्य भूमिका पक्षकारों की सहायता करना है जिससे वे एक दूसरे के साथ संवाद कर एक सौहार्दपूर्ण समझौता पर पहुँच सकें। पक्षकारों को मध्यस्थता सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में अवगत करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका अहम होती है। मध्यस्थ को यह सुनिश्चित करना होगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षकारों को सुना जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मामले के निपटरे के दौरान मध्यस्थ निष्पक्ष हो। यदि मध्यस्थ के मन में यह संदेह है कि वह निष्पक्ष नहीं रह सकता है, तो उसे मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाहन नहीं करना चाहिए और उसके स्थान पर एक नया मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए। मध्यस्थ को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति को विवाद सम्बन्धी तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहिए। पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान, मध्यस्थ के द्वारा कुछ प्रमुख कदमों का अनुसरण किया जाना आवश्यक हैं जैसे –

- मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू होने से पहले, मध्यस्थ पक्षकारों से मिलकर बैठक कर सकता है और मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल चरणों के बारे में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। वह संदेहों को भी स्पष्ट करता है और किसी भी सबंधित प्रश्न का उत्तर देता है।
- सबसे पहले, मध्यस्थ द्वारा आरम्भिक कथन किया जाएगा और वह मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को स्पष्ट करेगा। मध्यस्थ दोनों पक्षकारों से पूछेगा कि वे मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए सहमत हैं या नहीं? यदि पक्षकार सहमत हैं तो मध्यस्थता प्रक्रिया उल्लिखित चरणों के अनुसार होगी। यदि पक्षकार मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें प्रक्रिया की अनदेखी के लिए न्यायालय द्वारा कुछ खर्चे लगाए जाते हैं।
- मध्यस्थ पक्षकारों को अपने मामले को शुरुआती कथन के रूप में पेश करने का मौका देता है। इसका उद्देश्य यह है कि इन कथनों के द्वारा दोनों पक्षकारों और मध्यस्थ को मामले की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो जाती है।
- मध्यस्थ दोनों पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवाद के बिन्दुओं पर चर्चा करेगा और विवाद से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए पक्षकारों से प्रासंगिक प्रश्न भी कर सकेगा। वह इस जानकारी के माध्यम से यह भी पता लगा सकेगा कि पहले किन विवाद बिन्दुओं को सुलझाया जाना चाहिए।
- विवाद के बिन्दुओं के स्पष्ट हो जाने के उपरान्त प्रत्येक पक्षकार को व्यक्तिगत तौर पर मध्यस्थ के साथ अपने हित पर बात करने का अवसर दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पक्षकारों को विवाद के बिन्दुओं पर बातचीत करने के लिए परिपक्व करने में भूमिका निभाता है।
- पक्षकार विवाद को सुलझाने के लिए तब तक बातचीत करते हैं जब तक कि वे एक ऐसे समझौते तक नहीं पहुंच जाते जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो। मध्यस्थ एक समाधान प्रदान करता है जो दोनों पक्षकारों के हितों का सरंक्षण करता है। यदि बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुँचती है तब मामले को पुनः न्यायालय में भेजा जाता है।

- समझौते की शर्तें तय हो जाने तथा पक्षकारों के द्वारा स्वीकार्य होने के उपरान्त पक्षकारों को फिर से एकत्रित किया जाता है। मध्यस्थ मौखिक रूप से समझौते की शर्तो की पुष्टि करता है, फिर उन्हें पक्षकारों द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाता है। समझौते का बाध्यकारी प्रभाव होता है और यह न्यायालय के द्वारा लागू कराने योग्य होता है। मध्यस्थ पूरी प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों को उनकी भागीदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद देकर एक समापन वक्तव्य देता है।

पारिवारिक मध्यस्थता के लाभ :

पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित पक्षकारो के संबंधों को प्रभावित किए बिना मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। यह पक्षकारों को त्वरित न्याय प्रदान करता है जो न्यायालय के बोझ को भी कम करता है। यह एक लचीली प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारों को यह तय करने का अधिकार होता है कि वे मामले के समझौते को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है।

- यह पारिवारिक संबंधों और परिवार के सदस्यों को उन भावनात्मक पीडा से बचाता है जिनका उन्हें लम्बी अदालती मुकदमेबाजी के कारण सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, यह निश्चित रूप से उन मामलों के लिए एक अच्छा विकल्प है जहां माता–पिता को विवाह–विच्छेद के बाद भी अपने बच्चे के कारण संपर्क में रहना पड़ता है।
- यह गोपनीयता और विश्वसनीयता बनाए रखता है, जो पक्षकारों को यह विकल्प देता है कि वे किन तथ्यों पर विचार करना चाहते हैं जो न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में नहीं होता है। चर्चित व्यक्ति इस पद्धति का उपयोग करके अपने मामलों का प्रकाशन लोगों की नजरों से दूर रख सकते हैं।
- यह पक्षकारों की न्यायिक प्रक्रिया में खर्च होने वाले धन व समय की बचत करता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में मध्यस्थता की प्रक्रिया पर उनका अधिक नियंत्रण होता है।
- जब मामला परिवारिक विवाद से जुड़ा होता है तो यह न्यायिक कार्यवाही में और भी जटिल हो जाता है जबकि मध्यस्थता प्रक्रिया के द्वारा पक्षकार बातचीत करके समझौता कर सकते हैं। इससे प्राप्त निर्णय अथवा समझौता और भी अधिक सन्तोषप्रद होता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया में, परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिया जा सकता है, जो कि न्यायालयों की प्रक्रिया में असंभव होता है।

समय–समय पर भारतीय न्यायपालिका के द्वारा अपने निर्णयों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया का उपयोग किए जाने पर बल दिया गया है। जैसें – ***बिनी* बनाम *के.वी.सुंदरन***[17] के वाद में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984[18] के लागू होने के बाद, दूसरे धर्म में धर्मांतरण, संसार का त्याग, मानसिक विकार, यौन रोग और कुष्ठ रोग के अपवादित आधारों पर भी सुलह अनिवार्य है। ***शिव कुमार गुप्ता* बनाम *लक्ष्मी देवी गुप्ता***[19] न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक उद्देश्य विवाह के पक्षकारों के

[17] ए0 आई0 आर0, 2008 केरल 84।
[18] कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 66)।
[19] 2005(1) एच एल आर 483।

पवित्र मिलन को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। केवल तभी जब सुलह के प्रयास सफल न हों, असहमति पर सहमति के लिए आगे का प्रयास समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। ***राजेश कुमार सक्सेना*** **बनाम** ***निधि सक्सेना***[20] स्पष्ट किया कि में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह मामलों की सुनवाई शुरू करने से पहले सुलह का प्रयास करे।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

जब कोई पारिवारिक विवाद उत्पन्न होता है, तो यह परिवार की संस्था को नष्ट करने के साथ–साथ कार्यकारी शाखा, न्यायालय प्रणाली और पूरे समाज पर भी दुष्प्रभाव डालता है। पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता प्रक्रिया सुरक्षित, अनौपचारिक और पक्षकरों की गोपनीयता की रक्षा करने का एक अच्छा साधन है। पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की लोकप्रियता बढ़ रही है। पक्षकारों को न केवल बात करने के द्वारा अपने विवाद को सुलझाने का अवसर मिलता है बल्कि एक मध्यस्थ की राय भी प्राप्त होती है जो ऐसे मामलों के बारे में अधिक जानकारी रखता है। यह पक्षकारों की संतुष्टि भी सुनिश्चित करता है जब मध्यस्थ उनकी राय सुनते हैं और उन दोनों के लिए संभव समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वे अपने अधिवक्ता से दूसरी राय ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि पक्षकार मध्यस्थता के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके पास न्यायालय पहुंचने के लिए हमेशा एक और दरवाजा खुला रहता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर), जिसे बाहरी विवाद समाधान (ईडीआर) के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से न्यायालय के बाहर, यानी न्यायालय के बिना किसी रुकावट के विवाद को हल करने की एक विधिक प्रक्रिया है। वर्तमान समय में न्यायालय के समक्ष अनेक मामले लंम्बित हैं और न्यायालय में उन सभी को हल करने के लिए पर्याप्त न्यायाधीश और समय की कमी है। विवादों को सुलझाने के लिए एडीआर को व्यापक स्वीकृति मिली है। एडीआर के अनेक तरीके हैं, जैसे– मध्यस्थता, सुलह भी एडीआर का एक प्रमुख तरीका है। जब दो या दो से अधिक पक्षकारों के अलग–अलग हित होते हैं और वे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो वे एडीआर विधि का विकल्प चुन सकते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान समस्याओं को संबोधित करना आसान बनाता है क्योंकि यह बहुत सस्ता, त्वरित और विशेषज्ञ सुलभ प्रक्रिया है जो पक्षकारों को सामंज्यपूर्ण समझौता प्रदान कर न्याय प्रदान करता है।

[20] 1995(1) एच एल आर 472।